भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

ल खत प्रश्न सं. †1291

सोमवार, 25 जुलाई, 2022/03 श्रावण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन में आ थक हानि पर एनसीएईआर का अध्ययन

†1291. श्री जयदेव गल्लाः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या एनसीएईआर द्वारा "भारत और कोरोना वायरस महामारीः पर्यटन में लगे परिवारों हेतु आ थक हानि और पुनर्स्थापन हेतु नीतियां " नामक अध्ययन पूरा कर लया गया है और इस पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो रिपोर्ट जारी नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) पर्यटन उद्योग को दी जाने वाली वत्तीय प्रोत्साहन अथवा सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यात्रा हितधारकों की संख्या (होटल, यात्रा संचालक, यात्रा बस संचालक, आदि) और व भन्न राज्य पर्यटन बोर्डों के साथ पंजीकृत पर्यटक गाइडों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन यात्रा और पर्यटन हितधारकों की राज्य-वार संख्या कतनी है जिन्होंने सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को प्रदान की गई वत्तीय प्रोत्साहन अथवा सहायता का लाभ उठाया है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हाँ। एनसीएईआर द्वारा "भारत तथा कॉरोना वायरस महामारी: पर्यटन से जुड़े परिवारों के लए आ थक नुकसान और बहाली सम्बन्धी नीतियाँ " नामक अध्ययन पूरा कर लया गया है और उसकी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ भी साझा की गई है। इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान समग्र आ थक मंदी के कारण पर्यटन अर्थव्यवस्था अथवा पर्यटन प्रत्यक्ष सकल मूल्य वर्धन (टीडीजीवीए) में पछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में पहली तिमाही में 42.8 प्रतिशत ; दूसरी तिमाही मे 15.5 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 1.1 प्रति शत की गरावट देखी गई।

(ग) और (ड.): संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार और उनकी देनदारियों को पूरा करने तथा को वड-19 महामारी के कारण प्रभा वत उनके व्यापार की बहाली के लए पर्यटन मंत्रालय ने "को वड प्रभा वत पर्यटन सेवा क्षेत्र के लए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस) " कार्यान्वित की। इस ऋण गारंटी योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यताप्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/यात्रा एजेंट/ पर्यटक परिवहन ऑपरेटर को 10.00 लाख रु. तक का ऋण दिया जा रहा है और पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यताप्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुमोदित/मान्यताप्राप्त पर्यटक गाइडों को 1.00 लाख रु. तक का ऋण प्रदान कया जा रहा है।

पर्यटन मंत्रालय की एलजीएससीएटीएसएस का उद्देश्य ऊपर उल्लि खत लाभा र्थयों को अनुसू चत वा णज्यिक बैकों द्वारा दिए गए ऋणों के लए गारंटी कवरेज प्रदान करना है। उक्त योजना की वैधता दिनांक 31.03.2023 अथवा इस योजना के तहत 250.00 करोड़ रु. की गारंटी जारी होने, जो भी पहले हो, तक है और यह 04.10.2021 को या उसके बाद से (एनसीजीटीसी द्वारा एलजीसीएसएटीएसएस दिशा-निर्देशों के जारी होने की ति थ) 31.03.2023 तक इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर लागू होगी। एनसीजीटीसी द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रदत्त ऋण सु वधाओं के लए एमएलआई से कोई गारंटी शुल्क प्रभारित नहीं कया जाता है। इस योजना के तहत ऋण का राज्य -वार ववरण अनुबंध-**I** और **II** में देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने को वड के उपरांत देश के पर्यटन क्षेत्र के पुन र्वकास हेतु अनेक वत्तीय राहत उपायों की घोषणा की है जो अनुबंध-**III** में दिए गए हैं।

(घ): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित यात्रा व्यापार ऑपरेटरों, क्षेत्रीय स्तर के गाइडों (आरएलजी) की राज्य-वार सूची क्रमश: अनुबंध-**IV** तथा अनुबंध-**V** में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त नि ध पोर्टल पर पंजीकृत होटलों की संख्या की सूची अनुबंध-**VI** में देखी जा सकती है।

****

अनुबंध-I

पर्यटन में आ र्थक हानि पर एनसीएईआर का अध्ययन के सम्बन्ध में दिनांक 25.07.2022 के लोक सभा के ल खत प्रश्न सं. +1291 के भाग (ग) और (ड.) के उत्तर में ववरण

एलजीएससीएटीएसएस योजना के तहत वत्तीय सहायता का राज्यवार ववरण:			
क्र.सं.	राज्य का नाम	ऋण की संख्या	स्वीकृत रा श रु. में
1	असम	3	2500000
2	बिहार	1	1000000
3	दिल्ली	48	11025000
4	गोवा	1	100000
5	गुजरात	5	785000
6	हिमाचल प्रदेश	1	1000000
7	कर्नाटक	112	4790000
8	केरल	33	6646000
9	मध्य प्रदेश	13	2000000
10	महाराष्ट्र	1	950000
11	मेघालय	1	80000
12	उड़ीसा	5	500000
13	राजस्थान	83	7960000
14	सक्किम	6	4750000
15	त मलनाडु	84	3850000
16	तेलंगाना	32	2730000
17	उत्तर प्रदेश	10	883000
18	पश्चिम बंगाल	10	8275000
	कुल	449	59824000

******

अनुबंध- ▯

पर्यटन में आ र्थक हानि पर एनसीएईआर का अध्ययन के सम्बन्ध में दिनांक 25.07.2022 के लोक सभा के ल खत प्रश्न सं. +1291 के भाग (ग) और (ड.) के उत्तर में ववरण

एलजीएससीएटीएसएस योजना के तहत वत्तीय सहायता का राज्य-वार/हितधारक-वार ववरण:

राज्य का नाम	उधारकर्ता का प्रकार	उधारकर्ता उप प्रकार	ऋण गणना	स्वीकृत रा श रु. में
असम	यात्रा और पर्यटन हितधारक	टूर ऑपरेटर	1	1000000
असम	यात्रा और पर्यटन हितधारक	पर्यटक परिवहन ऑपरेटर	1	500000
असम	यात्रा और पर्यटन हितधारक	यात्रा एजेंट	1	1000000
बिहार	यात्रा और पर्यटन हितधारक	टूर ऑपरेटर	1	1000000
दिल्ली	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	34	3325000
दिल्ली	यात्रा और पर्यटन हितधारक	टूर ऑपरेटर	12	6600000
दिल्ली	यात्रा और पर्यटन हितधारक	पर्यटक परिवहन ऑपरेटर	1	100000
दिल्ली	यात्रा और पर्यटन हितधारक	यात्रा एजेंट	1	1000000
गोवा	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	1	100000
गुजरात	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	4	400000
गुजरात	यात्रा और पर्यटन हितधारक	टूर ऑपरेटर	1	385000
हिमाचल प्रदेश	यात्रा और पर्यटन हितधारक	टूर ऑपरेटर	1	1000000
कर्नाटक	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	112	4790000
केरल	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	29	2646000
केरल	यात्रा और पर्यटन हितधारक	पर्यटक परिवहन ऑपरेटर	4	4000000
मध्य प्रदेश	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	12	1200000
मध्य प्रदेश	यात्रा और पर्यटन हितधारक	टूर ऑपरेटर	1	800000
महाराष्ट्र	यात्रा और पर्यटन हितधारक	पर्यटक परिवहन ऑपरेटर	1	950000
मेघालय	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	1	80000
उड़ीसा	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	5	500000
राजस्थान	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	82	7810000
राजस्थान	यात्रा और पर्यटन हितधारक	पर्यटक परिवहन ऑपरेटर	1	150000

सिक्किम	यात्रा और पर्यटन हितधारक	टूर ऑपरेटर	1	800000
सिक्किम	यात्रा और पर्यटन हितधारक	पर्यटक परिवहन ऑपरेटर	1	1000000
सिक्किम	यात्रा और पर्यटन हितधारक	यात्रा एजेंट	4	2950000
त मल नाडु	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	84	3850000
तेलंगाना	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	29	1820000
तेलंगाना	यात्रा और पर्यटन हितधारक	टूर ऑपरेटर	2	830000
तेलंगाना	यात्रा और पर्यटन हितधारक	यात्रा एजेंट	1	80000
उत्तर प्रदेश	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	10	883000
पश्चिम बंगाल	पंजीकृत पर्यटक गाइड	पंजीकृत पर्यटक गाइड	1	25000
पश्चिम बंगाल	यात्रा और पर्यटन हितधारक	टूर ऑपरेटर	4	3600000
पश्चिम बंगाल	यात्रा और पर्यटन हितधारक	पर्यटक परिवहन ऑपरेटर	4	4000000
पश्चिम बंगाल	यात्रा और पर्यटन हितधारक	यात्रा एजेंट	1	650000
	कुल		449	59824000

****

अनुबंध-**III**

पर्यटन में आ थक हानि पर एनसीएईआर का अध्ययन के सम्बन्ध में दिनांक 25.07.2022 के लोक सभा के ल खत प्रश्न सं. +1291 के भाग (ग) और (ड.) के उत्तर में ववरण

को वड- 19 के बाद देश के पर्यटन क्षेत्र के पुन र्वकास के लए सरकार द्वारा घो षत व भन्न वत्तीय राहत उपाय इस प्रकार हैं:-

- **i.** सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचा लत ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अव ध 4 साल की होगी और 12 महीने का ऋण-स्थगन होगी।
- **ii.** आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत , तीन महीने के लए ईपीएफओ द्वारा कवर कए गए सभी प्रतिष्ठानों के लए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भ वष्य नि ध योगदान को प्रत्येक के लए मौजूदा 12% से घटाकर प्रत्येक के लए 10% कर दिया गया है।
- **iii.** केंद्र सरकार ने भी व्यापार निरंतरता और उत्तरजी वता सुनिश्चित करने के लए को वड -19 महामारी के संकट के मद्देनजर अलग-अलग अव ध के लए आयकर अ धनियम, कंपनी अ धनियम और जीएसटी अ धनियम के तहत व भन्न नियामक अनुपालनों से राहत दी।
- **iv.** भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फर से शुरू करने में सहायता करने के लए आपातकालीन क्रे डट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.00 शुरू की है। आतिथ्य , यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लए योजना का दायरा बढ़ाया गया आतिथ्य क्षेत्र के लए 50,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त संचयी नि ध का प्रावधान भी कया गया है। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0 , ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस (3.0) की वैधता को 31.03.2023 तक या 5.00 लाख करोड़ रुपये की रा श की गारंटी जारी होने तक के लए पहले ही बढ़ा दिया गया है।
- **v.** **28** जून **2021** को , सरकार ने को वड -**19** महामारी से प्रभा वत अर्थव्यवस्था के व भन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने और वकास एवं रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रे णयों में कुल **17** उपाय शा मल हैं , जिसमें ' वकास एवं रोजगार के लए प्रोत्साहन ' और स्वास्थ्य और पुनर्जीवन यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर वशेष ध्यान देने के साथ ' 'महामारी से आ थक राहत', शा मल हैं।

vi. संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र की बहाली और उनकी देनदारियों के निपटान तथा को वड-19 महामारी के कारण प्रभा वत उनके व्यवसायों को दोबारा शुरू करने के प्रयोजन से पर्यटन मंत्रालय ने "को वड प्रभा वत पर्यटन सेवा क्षेत्र हेतु ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)" कार्यान्वित की। इस योजना का ववरण ऊपर दिए गए उत्तर के भाग (ग) और (ड.) में दिया गया है।

vii. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से , घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लए हितधारकों को वत्तीय सहायता प्रदान करने के लए बाजार वकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लए संशो धत कया गया है , ता क हितधारकों को अ धकतम लाभ प्रदान कया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गति व धयों को शा मल कया गया है और अनुमेय वत्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है । वदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत वपणन वकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशो धत कया गया है ता क योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके , ता क पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अ धकतम लाभ प्रदान कया जा सके।

viii. देश में इनबाउंड पर्यटन को दोबारा शुरू करने और वदेशी पर्यटकों को आक षत करने के लए भारत सरकार ने सम्भा वत पर्यटन बाजारों से वदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा निःशुल्क प्रदान कए हैं। पहले 5 लाख पर्यटक वीजा (निःशुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार निःशुल्क वीजा का लाभ मलेगा।

ix. गृह मंत्रालय ने दिनांक 15 मार्च, 2022 से 156 देशों के वदेशी नागरिकों के लए ई-पर्यटन वीजा बहाल कर दिया है। पूरे वश्व में वैक्सीनेशन कवरेज में वृ द्ध के मद्देनजर और हितधारकों के परामर्शन से भारत सरकार ने 27 मार्च , 2022 से भारत से अनुसू चत वा णज्यिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं की आवाजाही को बहाल कर दिया है।

******

अनुबंध- □

पर्यटन में आ र्थक हानि पर एनसीएईआर का अध्ययन के सम्बन्ध में दिनांक 25.07.2022 के लोक सभा के ल खत प्रश्न सं. +1291 के भाग (घ) के उत्तर में ववरण

19**-07-2022 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत ट्रैवल ट्रेड ऑपरेटरों** के सम्बन्ध में **सारांश**

क्र. सं.	राज्य	टूर ऑपरेटर	पर्यटक परिवहन ऑपरेटर	यात्रा एजेंट	कुल
1.	कर्नाटक	19	7	7	33
2.	केरल	49	6	15	70
3.	गोवा	4	0	2	6
4.	गुजरात	7	1	13	21
5.	हिमाचल प्रदेश	8	0	1	9
6.	जम्मू और कश्मीर	10	0	3	13
7.	असम	21	0	2	23
8.	बिहार	10	0	1	11
9.	हरियाणा	84	1	8	93
10.	चंडीगढ़	1	1	2	4
11	नई दिल्ली	363	56	70	489
12.	सक्किम	2	0	0	2
13.	त मलनाडु	37	11	22	70
14.	त्रिपुरा	5	0	0	5
15.	उत्तर प्रदेश	62	3	12	77
16.	अंडमान और निकोबार	4	0	1	5
17.	आंध्र प्रदेश	3	0	0	3
18.	म णपुर	7	0	1	8
19.	मेघालय	1	0	0	1
20.	उड़ीसा	11	1	1	13
21.	पुदुचेरी	2	0	2	4
22.	पंजाब	5	1	10	16
23.	राजस्थान	23	6	3	32
24.	मध्य प्रदेश	2	2	4	8

25.	महाराष्ट्र	55	6	49	110
26.	पश्चिम बंगाल	53	5	15	73
27.	छत्तीसगढ़	2	0	0	2
28.	झारखंड	3	0	2	5
29.	उत्तराखंड	8	0	1	9
30.	तेलंगाना	6	0	6	12
31.	लद्दाख	1	0	0	1
	कुल	868	107	253	1228

****

अनुबंध-

पर्यटन में आ र्थक हानि पर एनसीएईआर का अध्ययन के सम्बन्ध में दिनांक 25.07.2022 के लोक सभा के ल खत प्रश्न सं. +1291 के भाग (घ) के उत्तर में ववरण

क्षेत्रीय स्तर गाइड (**आरएलजी**) **का राज्यवार विवरण**

क्र.सं.	राज्यों/**संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	गाइडों की संख्या
1.	दिल्ली	738
2.	हरियाणा	35
3.	राजस्थान	977
4.	उत्तर प्रदेश	749
5.	पंजाब	03
6.	जम्मू और कश्मीर	01
7.	उत्तराखंड	02
8.	हिमाचल प्रदेश	04
9.	मेघालय	01
10.	त मलनाडु और पुडुचेरी	120
11	कर्नाटक	34
12.	केरल	86
13.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	15
14.	महाराष्ट्र	180
15.	गोवा	31
16.	गुजरात	22
17.	छत्तीसगढ़	02
18.	मध्य प्रदेश	106
19.	बिहार	25
20.	झारखंड	02

21.	ओ डशा	23
22.	पश्चिम बंगाल	69
23.	असम	02
	कुल	3227

****

अनुबंध- ⃞⃞

पर्यटन में आ र्थक हानि पर एनसीएईआर का अध्ययन के सम्बन्ध में दिनांक 25.07.2022 के लोक सभा के ल खत प्रश्न सं. +1291 के भाग (घ) के उत्तर में ववरण

दिनांक 20**.07.2022 तक निधि पोर्टल पर पंजीकृत होटलों की राज्यवार सूची।**

क्र.सं.	राज्य/**संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	वर्गीकृत इकाइयाँ	अवर्गीकृत इकाइयां
1.	अंडमान और निकोबार	3	1
2.	आंध्र प्रदेश	31	15
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	2
4.	असम	21	23
5.	बिहार	3	3
6.	चंडीगढ़	3	2
7.	छत्तीसगढ	31	3
8.	दिल्ली	44	17
9.	डीएनएच और डीडी	2	0
10.	गोवा	29	26
1 1।	गुजरात	145	49
12.	हरियाणा	27	15
13.	हिमाचल प्रदेश	4	4
14.	जम्मू और कश्मीर	0	1
15.	झारखंड	3	3
16.	कर्नाटक	35	25
17.	केरल	703	249

18.	लद्दाख	1	1
19.	लक्षद्वीप	-	-
20.	मध्य प्रदेश	11	16
21.	महाराष्ट्र	84	54
22.	म णपुर	2	1
23.	मेघालय	1	3
24.	मजोरम	2	0
25.	नागालैंड	-	4
26.	उड़ीसा	15	2
27.	पुदुचेरी	0	1 1
28.	पंजाब	15	23
29.	राजस्थान	19	23
30.	सक्किम	4	6
31.	त मलनाडु	39	56
32.	तेलंगाना	21	15
33.	त्रिपुरा	0	1
34.	उत्तर प्रदेश	20	18
35.	उत्तराखंड	4	6
36.	पश्चिम बंगाल	48	12
	कुल	1416	690

****